

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 8-1/17/1761/2016/नियम/चार भापाल, दिनांक 3-5-2017  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।

विषय:- म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम 12 के तहत स्पष्टीकरण।  
संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र कमांक एफ-8-2/16/1761/2016/नियम/ चार  
दिनांक 22-12-2016

\*\*\*

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित स्पष्टीकरण में आंशिक संशोधन कर  
निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के नियम 12 के अनुसार जिन  
विद्यमान वेतनमानों के विषय में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 एवं  
तत्पश्चात के शासकीय आदेशों के अंतर्गत एक निर्धारित समय सीमा पश्चात अथवा  
अन्य किन्ही विशिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये वेतनमान देने की शर्त लगाई गई थी  
वह पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में यथावत रहेगा ।


2. म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 के अंतर्गत लेखापाल के लिये  
निम्नानुसार वेतन निर्धारित है :-

(एक) 1200-2040 (अप्रशिक्षित के लिये)

(दो) 1320-2040 (प्रशिक्षित के लिये)

3. म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में उपर्युक्त दोनों वेतनमानों के लिये  
पुनरीक्षित वेतनमान 4000-6000 किया गया है । अतः इस संबंध में स्पष्ट किया  
जाता है कि म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 का नियम 12 का वर्णित प्रावधान,  
लेखापाल संवर्ग के लिये प्रभावशील नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आनुरुद कुर्कजी)  
सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक एफ- 8- 1/17/1761/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3-5-2017

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
  2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
  3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
  4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
  5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
  6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
  7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
  8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
  9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
  10. रजिस्ट्रार म.प्र.राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
  11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
  12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
  13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
  14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
  15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
  16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
  17. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिये
  18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/  
अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
  19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
  20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
  21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
  22. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
  23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय भोपाल
  24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
  25. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
  26. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग

18